मु0न0–73 / 2020

उन्वान– रतल्ली बनाम अमन

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी

दिनांक– 12.11.2020

मु0न0 73 / 2020

पीठासीन अधिकारी– सुनीता मीना आर.ए.एस

उनवान

1. रतल्ली पुत्र भौरया मीना निवासी नांद तहसील टोडाभीम।(मृतक)
   1/1 शिवराम पुत्र रतल्ली
   1/2 रामकेश पुत्र रतल्ली
   1/3 राधेश्याम पुत्र रतल्ली
   1/4 विश्राम पुत्र रतल्ली
   समस्त जातियान मीना निवासीयान नॉद तहसील टोडाभीम।

(सायलान)

बनाम

1. अमन पुत्र घनश्याम
2. पवन पुत्र घनश्याम
3. घनश्याम पुत्र हरेश
4. मुकेश पुत्र चिरंजी
   समस्त जातियान मीना निवासीयान नॉद तहसील टोडाभीम।

(गैरसायलान)

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थिति:– श्री हंसराज गुर्जर एडवोकेट सायलान

निर्णय

दिनांक 30.07.2024

सायल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है के ग्राम नांद की आराजी ख0न0 522 रकबा 0.23 है0 भूमि प्रार्थी की खातेदारी व कब्जे काश्त की प्रराजी है जिससे अप्रार्थीगण का कोई संबंध किसी प्रकार का नही है।

अप्रार्थीगण चालाक व बेईमान किस्म के व्यक्ति है तथा प्रार्थी को काश्त करने मे रुकावट पैदा करते है। प्रार्थी दिनांक 11.11.2020 को वर्णित आराजी मे बुवाई कर रहा था तो गैरसायलान हाथो मे डन्डा लेकर आये और प्रार्थी को खेत बोने से मना कर दिया। इसलिये यह प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है।

प्रार्थी का प्राईमाफेसी केस साबित है, तथा सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष मे है यदि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की गई तो प्रार्थी को अपूर्तनीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी प्रकार से संभव नही है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण को पाबन्द फरमाया जावे कि भूमि ख0न0 522 रकबा 0.23 है0 मे प्रार्थी के कब्जे काश्त मे ...

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस ... गया। गैरसायलान की ओर से श्री मनोज कुमार शर्मा एडवोकेट ने ... किया। परन्तु जबाब पेश नही किया, और दिनांक 14.05.202... बार आवाज दिलाये जाने के उपरान्त भी अनुपस्थित न्यायालय रहने से इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.09.10 11:08:34 IST
Reason: SelfAttested

(सुनीता मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला–गंगापुर सिटी

प्रार्थीगण वकील की बहस सुनी गई। प्रार्थीगण वकील ने प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो का दोहरान करते हुये कथन किया कि प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजीयात मे प्रार्थीगण के पिता खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थीगण के पिता के फौत हो जाने पर प्रार्थीगण को पक्षकार बनाया गया है। अप्रार्थीगण चालाक व बेईमान किस्म के व्यक्ति है तथा प्रार्थी को काश्त करने मे रूकावट पैदा करते है। इसलिये न्यायालय हाजा द्वारा जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 12.11.2020 को कन्फर्म किया जावे।

प्रार्थी वकील की बहस पर मनन किया पत्रावली मे शामिल दस्तावेजो का अवलोकन किया। पत्रावली मे शामिल जमाबन्दी सम्वत 2076–79 के खाता संख्या 205 मे कुल किता 3 कुल रकवा 1.27 है0 मे प्रार्थीगण के पिता खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। अप्रार्थीगण द्वारा न्यायालय मे उपस्थित होने के बावजूद जबाब पेश नही करना तथा अनुपस्थित न्यायायल रहने से प्रकरण पृथम दृष्टया प्रार्थीगण के हक मे साबित होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

आदेश

अतः न्यायालय हाजा द्वारा जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 12.11.2020 को ता दावा फैसला कन्फर्म किया जाता है अर्थात ग्राम नांद की आराजी ख0न0 522 रकवा 0.23 है0 मे अप्रार्थीगण को ता दावा फैसला पाबन्द किया जाता है कि वे वर्णित आराजीयात मे मौके की यथास्थिति बनाये रखे तथा कब्जे काश्त मे दखलन्दाजी नही करे।

निर्णय आज दिनांक 30.07.2024 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सुनीता मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.09.10 11:08:34 IST
Reason: SelfAttested